कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
अचली, मंडला , जिला-मंडला (म.प्र.)

क्र./EMRS/2025-26/ 889 दिनांक - 14/03/2026

निविदा सूचना

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अचली मंडला (म.प्र.) में सत्र 2026-27 के लिए निम्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 01/05/2026 से 30/04/2027 तक के लिए सम्बंधित पंजीकृत व्यापारियों से सीलबंद निविदाए 06/04/2026 दोपहर 3:00 बजे तक स्वयं या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 13/04/2026 सुबह 11:00 बजे विद्यालय "क्रय सलाहकार समिति" द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओ के समक्ष खोली जायेगी | निविदा प्रक्रिया: तकनीकी निरिक्षण और वित्तीय मूल्यांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार की जाएंगी। तकनीकी निरिक्षण के लिफाफे में आवश्यक निविदा हेतु मांगे गए दस्तावेज होंगे और वित्तीय मूल्यांकन के लिफाफे में सामग्री से संबधी मूल्य व दरो की जानकारी होगी तथा इन दोनों लिफाफों को एक मूल लिफाफे में बंद कर विद्यालय में जमा करना होगा | इस प्रकार निविदा दो चरणों में होगी, प्रथम चरण में तकनीकी निरिक्षण निविदा के लिए नियम व शर्तो के आधार पर किया जाएगा उसके उपरांत सफल निविदाकर्ता के निविदा का वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा, असफल निविदाकर्ता अंतिम वित्तीय मूल्यांकन हेतु पात्र नहीं होगे | वित्तीय मूल्यांकन में कम दर वाले निविदाकर्ता को उपरोक्त सामग्री का टेंडर जाएगा|

निविदा फार्म (टेंडर फार्म) पांच सौ रूपए मात्र का ऑनलाइन या नगद भुगतान कर विद्यालय कार्यालय से दिनांक 15/03 /2026 से 06 /04/2026 तक कार्यालयीन समय सुबह 11 :00 से दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है | निविदा फार्म के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट, फर्म का आयकर, व्यापारिक कर अददतन प्रमाण पत्र व शर्त अनुसार प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा रदद कर दी जायेगी | विद्यालय क्रय समिति अथवा क्रय सलाहकार समिति एक अथवा सभी निविदाओ को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से कारण बताये बिना स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, जिस पर किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकेगी | सामग्री क्रय करने का अंतिम अधिकार विद्यालय "क्रय सलाहकार समिति" के पास सुरक्षित रहेगा |

क्र.	सामग्री का नाम	अमानत राशि
1.	भोजनालय खाद्य सामग्री	100000
2.	डेयरी उत्पाद/अंडा	20,000
3.	सब्जी एवं फल सामग्री	60000

मुख्य नियम एवं शर्तें (नोट)-

1. निविदाकर्ता को नीचे दी गई जानकारी के अनुसार अमानत राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट (EMD) जमा करना होगा जो सामग्री के अनुसार अमानत राशि ऊपर तालिका में दी गई है |

Bank details for creation of Demand Draft : Indian Bank
Beneficiary Name : EKLAVYA ADARSH AAVASEEY VIDHYALAYA MANDLA
Account No : 50342754071 IFS Code : IDIB000M539

2. छूट: क्रमांक 2 और 3 के लिए आयकर व व्यापारिक कर प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है।
3. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

4. FSSAI Act 2006 के तहत लाइसेंस अनिवार्य है।

5. GST: निविदा में भाग लेने के लिए वैध GST पंजीकरण होना अनिवार्य है।

6. प्रत्येक फर्म को कम से कम 10 सामग्री का सैंपल टेंडर फॉर्म के साथ जमा करना होगा जिसमे में चावल व दाल के सैंपल जमा करना अनिवार्य है |

7. गुणवत्ता: मानक गुणवत्ता के अनुसार सामग्री न होने पर व निविदा मूल्य के अनुसार सामग्री न देने पर टेंडर तत्काल निरस्त किया जाएगा।

8. निविदिताकर्ता को किन्ही दो शासकीय संस्थाओ में पूर्वानुभव का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है |

9. सामग्री को विद्यालय पहुचने हेतु भाड़े का खर्च विद्यालय द्वारा नहीं दिया जाएगा व उपरोक्त व्यय व GST कर, सामग्री के टेंडर मूल्य में सम्मलित होगा |

10. अधिकार:- विद्यालय क्रय समिति के पास बिना कारण बताए निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. जिस भी निविदाकर्ता के पास सामग्री का टेंडर जाएगा उसे विद्यालय के नियम व शर्तों के आधार पर हलफ़नामा स्टाम्प पेपर पे बनवाके के विद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा |

निविदा प्रपत्र, नियम, शर्त एवं अधिक जानकारी हेतु विद्यालय कार्यालय में संपर्क करे तथा इसकी विस्तृत जानकारी निम्न वेबसाइट https://www.emrsmandla.in पर उपलब्ध है।

14/3/26

प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय आवासीय

मंडला जिला मंडला (म.प्र.)

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
मण्डला, जिला – मण्डला (म.प्र.)

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL
MANDLA MADHYA PRADESH
(National Education Society for
Tribal Students – **NESTS**)
An Autonomous organization Under
the Ministry of Tribal Affairs
(Government of India)
School Code – **52029**
CBSE Affiliation No.- **1020030**
DISE Code – **23420106101**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मण्डला (म.प्र.)
(नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर
ट्राइबल स्टूडेंट - **नेस्ट्स**)
स्वायत्त संगठन अंतर्गत
जनजातीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार)
पता:- ग्राम- अचली, पोस्ट- सेमरखापा,
जिला- मण्डला, मध्य प्रदेश- 481661
School Website – **www.emrsmandla.in**
E-mail Id.- **emrsachali2016@gmail.com**
Telephone No.- **07642- 299062**

प्रति , **दिनांक : ....**

..

..

..

विषय :- विद्यालय को वर्ष 2026-2027.. सामग्री के प्रदाय हेतु निविदा प्रस्तुत करने संबंध में।

1. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा संचालित जिला मंडला के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अचली मंडला हेतु शिक्षण सत्र 2026-27 हेतु पंजीकृत फर्मों / अपूर्तिकर्ताओं से किराना सामग्री, सब्जी - फल, बेकरी, दूग्ध उत्पाद व दैनिक भोजन उपयोगी सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक सील बंद निविदायों को दिनांक 15.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 6.04.2026 दोपहर 03:00 बजे तक धरोहर राशि मात्र 500 रूपये प्रति निविदा प्रपत्र अनुसार भुगतान कर संबंधित विद्यालय से प्राप्त की जा सकती है जिसकी विस्तृत जानकारी निम्न वेबसाइट https://www.emrsmandla.in पर उपलब्ध है। निविदा मुहरबन्द लिफाफे में हो और ऊपर प्रदाय निविदा सामग्री का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित हो। मुहरबन्द निविदाएं दिनाँक 13.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे विद्यालय क्रय सलाहकार उप समिति एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष विद्यालय परिसर में खोली जाएगी।

2. निविदाकर्ताओं को अधोलिखित क. 03 से 25 तक उल्लेखित नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. निविदा में मुख्यतः दो लिफाफे होंगे जिन पर निविदा का नाम, फर्म का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। पहले लिफाफे पर 'टेक्निकल बिड' एवं दूसरे पर 'फाइनेंसियल बिड' लिखा होना चाहिए। दोंनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में अच्छी तरह सील कर प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अचली मंडला जिला मंडला (म.प्र.) के पते पर देना होगा। निविदा में 'विद्यालय क्रय सलाहकार उप समिति' द्वारा सर्वप्रथम फर्म के तकनीकी दस्तावेज खोले जाऐंगे। तकनीकी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही फाईनेंसियल बिड खोली जाएंगी।

4. निविदा में अंकित दर समस्त करों जैसे जी.एस.टी., व अन्य कर सहित होने चाहिये। एफ. ओ. आर विद्यालय होगा। आपूर्तिकता फर्म को समस्त सामग्री विद्यालय तक पहुँचानी होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार के माल -भाड़ा अथवा वाहन परिवहन शुल्क आदि का भुगतान विद्यालय वहन नही करेगा।

5. निविदा पत्र में दर्शाई गई दरों में किसी भी प्रकार के कांट छांट अथवा ओवर राइटिंग नही होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसे पूर्णतः काटकर स्पष्ट अक्षरों में अलग से लिखा जाए तथा उसके समक्ष हस्ताक्षर एवं तिथि लिखा जाए अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकता है।

6. निविदा मे वर्णित सामाग्रियों को केवल न्यूनतम दर होने पर ही स्वीकार योग्य माना जाएगा। निविदा पत्र में अंकित कम मूल्यों को स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राचार्य/विद्यालय क्रय सलाहकार उप समिति को है। किसी भी निविदा पत्र के सम्पूर्ण या आंशिक सामग्री को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार भी प्राचार्य विद्यालय क्रय सलाहकार उप समिति के पास सुरक्षित है।

7. निविदा की स्वीकृती पर एक अनुबंध होगा और निविदादाता निविदा में दी गई शर्तों, सामान्य वित्तीय नियमों एवं एकलव्य विद्यालय क्रय सलाहकार उप समिति के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा। इस संबंध में संलग्न वचन/सहमति पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा।

8. एक वस्तु का एक ही मूल्य अंकित करें एवं जिस ब्रांड स्पेशिफिकशन की सामग्री की दर चाही गयी हैं, उसी वस्तु की दरें दें। कई मूल्य अंकित करने एवं निविदा शर्तों का पालन ना करने पर ऐसे निविदादाताओं के मूल्यों को निरस्त किया जा सकता है। न्यूनतम दरों को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर क्रय सलाहकार उप समिति को वस्तु एवं दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. आवश्यकता होने पर ही केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से ही नेगोशिएशन किया जाएगा। किसी सामग्री के लिये एक या अधिक फर्मों की दरें समान होने पर सेम्पल की गुणवत्ता/नेगोशिएशन के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जाएगा।

10. निविदादाता, निविदा पत्र में दर्शायी निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंडला के पक्ष में इंडियन बैंक मंडला में देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा-पत्र के साथ जमा की गयी धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने पर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में जब्त कर ली जाएगी। निविदा स्वीकृत होने पर उक्त अमानत राशि विद्यालय में "सुरक्षा निधि" के रूप में समायोजित कर रखी जाएगी

11. निविदादाता फर्म सामानों की आपूर्ति यदि निर्धारित समयावधि में नही करता है तो प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री खुले बाजार/अन्य फर्म से क्रय कर लें एवं अंतर की राशि को निविदादाता की सुरक्षा निधि से समायोजित कर लें। यदि अंतर की राशि अधिक है तो निविदादाता उक्त राशि को देने के लिये बाध्य होगा। यदि दोबारा आपूर्ति समय एवं मांग अनुसार नहीं की जाती है तो धरोहर राशि राजसात

कर फर्म को कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जाएगी। एक बार अवसर देने के बाद दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।

12. क्रय सलाहकार उप समिति को निविदा पत्र में दर्शायी सामग्री की मात्रा से कम या अधिक आवश्यकतानुसार क्रय करने का अधिकार है। दरें विद्यालय द्वारा जारी प्रत्रक पर ही भरना अनिवार्य है।

13. निविदादाता को समस्त सामानों का सेम्पल निविदा खुलने की तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सेम्पलों का प्रदर्शन स्वयं करना होगा। चयनित सेम्पल्स को क्रय सलाहकार उपसमिति अपने पास सुरक्षित रखेगी एवं स्वीकृत सेम्पल वापस नहीं किये जाएंगें। सामग्री का सेम्पल निविदादाता को बिना भुगतान के जमा करना अनिवार्य होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचना होगा। केवल अस्वीकृत निविदा के ही सेम्पल ही वापस होंगे।

14. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें दिनांक 30/04/2027 तक के लिए मान्य होंगी।

15. जब भी कम्पनियों/एजेन्सियों द्वारा सामग्री के साथ किसी स्कीम के तहत फ्री गिफ्ट/उपहार दिया जाता है तो निविदादाता को वह विद्यालय को देना होगा और उसे बिलों पर उपहार सामग्री लिखकर अंकित करना होगा अन्यथा उपहार के मूल्य को बिल की राशि में से काटकर भुगतान किया जायेगा। निविदा में जिस किसी सामग्री पर प्रतिशत में छूट चाही गयी है, वहाँ दरों में भरें हुए मूल्य स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इसी प्रकार जहाँ दरें चाही गयी हैं, वहाँ पर प्रतिशत में छूट दर्शाने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. विद्यालय द्वारा क्रयादेश के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई सामानों की गुणवत्ता की जाँच अधोहस्ताक्षरकर्ता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में जमा नमूना एवं टेंडर विवरण के आधार पर मिलान कर की जाएगी। सामग्री की गुणवत्ता में अंतर पाए जाने पर सामग्री अस्वीकृत की जाएगी। अस्वीकृत सामग्री विद्यालय में नहीं रखी जाएगी। आपूर्ति आदेश मे दर्शायी मात्रा से अधिक सामग्री भेजने पर अधिक भेजी गयी सामग्री स्वीकार नही की जायेगी। ऐसी सामग्री तत्काल वापस ले जाने की पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी तथा यह सामग्री नहीं ले जाने पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की नही होगी।

17. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी उपकरण आदि सामग्रियों में यदि 12 माह तक किसी भी प्रकार के निर्माण या सामग्री की गुणवत्ता में खराबी पाये जाने पर खराब सामग्री का मूल्य राशि निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि से काट कर समायोजित कर लिया जाएगा। 1

8. निविदादाता की किसी भी शर्त के लिये विद्यालय बाध्य नहीं होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार किसी भी निविदा को विद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किया जावेगा। किसी भी स्थिति में सिफारिश करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

19. निविदा प्रपत्र में चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से भरी हो एवं निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य हो।

20. प्रत्येक निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के समय पक्का बिल प्रस्तुत करना होगा चालान या कच्चे बिल के आधार पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। निविदादाता को पीएफएमएस से भुगतान किया जाएगा। भुगतान प्राप्त होने के बाद निविदादाता को निर्धारित प्रिंटेड प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य होगा।

21. निविदा दर सूची में मांगी गई वजन/ब्रांड/मात्रा के अनुसार ही दरें भरें। अपनी ओर से कटिंग कर जोड़ना या बदलना निविदा फार्म में हेरा-फेरी किया जाना मानकर उन्हे तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जाएगा

22. कम्पनी द्वारा निर्मित ब्रांडेड वस्तुओं पर निमार्ण तिथि अनुपयोगी तिथि, लॉट बेच क्रं. एवं अधिकतम मूल्य (एम.आर.पी.) अंकित होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में एम.आर.पी. से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। कम्पनी की एम.आर.पी. को मिटाना, बदलना, चिट लगाना आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे धोखाधड़ी माना जाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

23. निविदादाता को टेण्डर फार्म एवं वचन पत्र में केवल स्वयं के नाम का वैध-मेल आई.डी. एवं व्हाट्सऐप नंबर दर्शाना अनिवार्य है। सभी प्रकार का पत्राचार एवं आपूर्ति आदेश ई-मेल एवं व्हाट्सऐप के द्वारा ही किया जाएगा। अतः केवल फर्म के नाम या फर्म के मालिक के नाम का वैध ई-मेल आई.डी होना अनिवार्य है। वैध एवं कार्यरत मोबाईल नं. निविदा फार्म में अंकित करना अनिवार्य है। आपूर्ति आदेश प्रेषित करने के पश्चात किसी भी प्रकार की देरी के लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। उपकरण एवं कपड़ा सामग्रियों को छोडकर अन्य सभी सामग्रियों जैसे खाद्यान्न/किराना दैनिक उपयोग, फल-सब्जी इत्यादि की आपूर्ति की अवधि अधिकतम 05 दिवस होगी। इस अवधि में सामग्री विद्यालय परिसर में आपूर्ति न करने पर निविदा शर्तो अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

24. जीएसटी के अंतर्गत आने वाले सामग्री में नियमानुसार बिल के नेट राशि में से जीएसटी टीडीएस (02 प्रतिशत) की कटौती की जाएगी। जीएसटी बिल ही प्रस्तुत करें एवं बिल पर नेट राशि तथा जीएसटी राशि स्पष्ट अलग-अलग अंकित हो। राशि अलग-अलग अंकित नहीं होने पर पूरे राशि में से जीएसटी टीडीएस की कटौती की जाएगी।

25. निविदा पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र जो लागू हो संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी :

1. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

2. पेन कार्ड की छायाप्रति ।

3. फर्म का GST रजिस्ट्रेशन व छः महिने के भीतर GST Return की प्रति जिसमें कोई बकाया शेष न हो।

4. किसी भी दो शासकीय संस्थाओ में पूर्वानुभव का प्रमाण पत्र ।

5. निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा हो एवं निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, तिथि सहित हो ।

6. तिथि सहित अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक नंबर

7. किराना सामग्री के सेम्पल न्यूनतम 50 ग्राम जार लॉक वाली पालीथीन में हो।

8. निविदा संबंधी समस्त शर्तों के स्वीकार होने के संबंध में सहमति वचन पत्र जो टेंडर जारी होने पे बनवाके देना होगा ।

9. फर्म का निरस्त किया हुआ चेक ।

10. निविदाकर्ता को नीचे दी गई जानकारी के अनुसार अमानत राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट (EMD) जमा करना होगा जो सामग्री के अनुसार अमानत राशि ऊपर तालिका में दी गई है |

Bank details for creation of Demand Draft : Indian Bank

Beneficiary Name : EKLAVYA ADARSH AAVASEEY VIDHYALAYA MANDLA

Account No : 50342754071 IFS Code : IDIB000M539

11.. छूट: क्रमांक 2 और 3 के लिए आयकर व व्यापारिक कर प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है।

12. FSSAI Act 2006 के तहत लाइसेंस अनिवार्य है।

13. प्रत्येक फर्म को कम से कम 10 सामग्री का सैंपल टेंडर फॉर्म के साथ जमा करना होगा जिसमे में चावल व दाल के सैंपल जमा करना अनिवार्य है |

14. गुणवत्ता: मानक गुणवत्ता के अनुसार सामग्री न होने पर व निविदा मूल्य के अनुसार सामग्री न देने पर टेंडर तत्काल निरस्त किया जाएगा।

15.. निविदिताकर्ता को किन्ही दो शासकीय संस्थाओ में पूर्वानुभव का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है |

16.. सामग्री को विद्यालय पहुचने हेतु भाड़े का खर्च विद्यालय द्वारा नहीं दिया जाएगा व उपरोक्त व्यय व GST कर, सामग्री के टेंडर मूल्य में सम्मलित होगा |

17.. अधिकार:- विद्यालय क्रय समिति के पास बिना कारण बताए निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

18.. जिस भी निविदाकर्ता के पास सामग्री का टेंडर जाएगा उसे विद्यालय के नियम व शर्तों के आधार पर हलफ़नामा स्टाम्प पेपर पे बनवाके के विद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा |

निविदा प्रपत्र, नियम, शर्त एवं अधिक जानकारी हेतु विद्यालय कार्यालय में संपर्क करे तथा इसकी विस्तृत जानकारी निम्न वेबसाइट https://www.emrsmandla.in पर उपलब्ध है।

प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय आवासीय
मंडला जिला मंडला (म.प्र.)

निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का निविदा की समस्त शर्तों के स्वीकार होने संबंधी अनुबंध का वचन/शपथ - पत्र

(100 रूपये के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर)

मैं/हम मेसर्स...आपके द्वारा उपरोक्त निविदा पत्र में लिखित विवरण एवं शर्त क्रमांक 03 से 25 तक को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और तदुपरांत ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अचली मंडला (म.प्र.) द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चाही गयी सामग्रियों की दरें प्राचार्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये भाव पत्रक पर ही अंकित करता/करती/ करते हैं और साथ में अपना एक निरस्त चैक एवं मुद्रित लेटर हैड अपने हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर सहित संलग्न करता/करती/ करते हैं तथा वचन देता/देती/देते हैं कि निविदा पत्र में दर्शायी गयी सभी शर्ते मैनें / हमने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली हैं तथा वचन देता/देती/देते हैं कि निविदा पत्र में दर्शायी गयी सभी शर्ते मुझे/हमको स्वीकार है। मुझे/हमें भलीभांति विदित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय हेतु न्यायक्षेत्र मंडला (म.प्र.) होगा। मेरे/हमारे द्वारा क्रमांक 25 में मांगे गए सभी दस्तावेज (जो लागू होते हो) संलग्न किए गए है जिनकी सत्यता के लिए मैं/हम स्वययं जिम्मेदार है/हूं ।

साक्षीगणों के हस्ताक्षर, नाम एवं पूर्ण पता

01..
नाम एवं पता...........................
....
फोन नं. ....

02 ....
नाम एवं पता...........................
....
फोन नं. ....

निविदादाता/निविदादाताओं/प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर एवं पूरा पता मय सील/मोहर
....
....
फोन नं.:...
मो.नं...
ई-मेल पता : ....